भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5276
02.04.2025 को उत्तर देने के लिए

स्वतः सूचित किए गए व्यय की सटीकता

5276. श्रीमती बिजुली कलिता मेधीः
श्री विजय बघेलः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वतः सूचित किए गए व्यय आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित करने और उनमें विसंगतियों को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) सर्वेक्षण में शामिल वस्तुओं और सेवाओं की श्रेणियां क्या हैं;

(ग) क्या पिछले सर्वेक्षण की तुलना में इसमें कोई नई श्रेणियां जोड़ी गई हैं; और

(घ) विभिन्न राज्यों में और विशेषकर छत्तीसगढ़ में ग्रामीण और शहरी परिवारों तथा विभिन्न आय समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उक्त सर्वेक्षण में क्या उपाय अपनाए गए हैं/अनुसरण किए गए हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) नियमित अंतराल पर घरेलू उपभोग व्यय पर सर्वेक्षण करता है, जिसमें परिवारों द्वारा खाद्य और अखाद्य वस्तुओं की खपत के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है। घरेलू उपभोग व्यय (एचसीईएस: 2023-24) पर नवीनतम सर्वेक्षण अगस्त, 2023 से जुलाई, 2024 के दौरान आयोजित किया गया था और इसके निष्कर्ष जनवरी, 2025 के महीने में प्रकाशित किए गए थे। एनएसओ गैर प्रतिदर्श त्रुटियों को न्यूनतम करते हुए लक्षित जनसंख्या से सटीक और विश्वसनीय डेटा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राथमिक डेटा संग्रहण का कार्य कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू (सीएपीआई) या वेब-आधारित एप्लिकेशन का उपयोग करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है, जिसमें डेटा संग्रहण के दौरान स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्निहित सत्यापन तंत्र भी शामिल है। डेटा की सटीकता बहु-स्तरीय डेटा जांच और सत्यापन जांच द्वारा

सुनिश्चित की जाती है। यह सही समय में डेटा प्रविष्टि और सत्यापन को सक्षम करके डेटा संग्रहण की दक्षता को बढ़ाता है, तथा मानवीय चूक को काफी कम करता है। अंतर्निहित डेटा सत्यापन जांचों के कार्यान्वयन से अविश्वसनीय या असंगत प्रतिक्रियाओं, जो चरम मूल्य या पैटर्न जो सामान्य व्यय व्यवहार से मेल नहीं खाते हैं, को चिह्नित करने में सहायता मिलती है।

(ख) वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान किए गए घरेलू उपभोग व्यय के सर्वेक्षणों में, परिवारों द्वारा उपभोग किए जाने वाले लगभग 405 खाद्य और अखाद्य पदार्थों की जानकारी एकत्र की गई है। एकत्रित जानकारी की निम्नलिखित व्यापक श्रेणियाँ है :

1. अनाज और अनाज के विकल्प
2. दालें और उसके उत्पाद
3. नमक और चीनी
4. दूध और उसके उत्पाद
5. सब्ज़ियाँ
6. फल (ताज़े और सूखे)
7. अंडा, मछली और मांस
8. खाद्य तेल
9. मसाले
10. पेय पदार्थ
11. पैक किया हुआ और परोसा जाने वाला प्रोसेस्ड भोजन
12. पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ
13. ईंधन और प्रकाश
14. शौचालय के सामान और अन्य घरेलू उपभोग्य वस्तुएँ
15. शिक्षा
16. चिकित्सा (अस्पताल में भर्ती और अस्पताल में भर्ती के बिना)
17. वाहन को छोड़कर उपभोक्ता सेवा
18. वाहन
19. मनोरंजन
20. किराया
21. अन्य कर और उपकर
22. कपड़े, बिस्तर और जूते
23. टिकाऊ सामान

(ग) एचसीईएस: 2022-23 और 2023-24 की वस्तु बास्केट में जोड़े गए वस्तुओं की सूची नीचे दी गई है:

क्रम संख्यां	प्रश्नावली	उपसमूह	जोड़ी गई वस्तुएं
1.	प्रश्नावली एफडीक्यू (खाद्य पदार्थ)	फल (सूखे)	बादाम, पिस्ता, हेज़लनट और अन्य मेवे
2.		पैक किया हुआ प्रोसेस्ड भोजन	• नाश्ता अनाज (ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, मूसली) • नाचोस, पफ्स, वेफ़र्स, आदि • मेयोनेज़, पनीर • कप नूडल्स, तैयार अन्य भोजन
3.	प्रश्नावली सीएसक्यू (उपभोग्य वस्तुएं एवं सेवाएँ)	शौचालय की वस्तुए	• हैंडवॉश, फेसवॉश, बॉडीवॉश • मॉइस्चराइज़र • माउथवॉश •हेयरकलर/जेल/सीरम • कंडीशनर •आईमेकअप एक्सेसरीज़ • ट्रिमर, एपिलेटर • बॉडी ऑयल •डिओडोरेंट, रोल-ऑन •आफ़्टरशेव बाम, आदि।
4.	प्रश्नावली डीजीक्यू (टिकाऊ आइटम)	वस्त्र	• रेडीमेड सूट सेट (पुरुष/महिला) • पोलो, टॉप, श्रग • ड्रेस, जंपसूट • जेगिंग, जॉगर्स, ट्रैक सूट, ट्रैक पैंट • शेरवानी, लहंगा, गाउन • स्लीप और लाउंज वियर
5.		अन्य व्यक्तिगत सामान	• हेडफोन, ईयरफोन, ईयर पॉड, ब्लूटूथ डिवाइस/स्पीकर आदि।
6.		खेल और चिकित्सा उपकरण	• व्यायाम उपकरण: ट्रेडमिल, फिटनेस साइकिल, आदि, •वजन तौलने की मशीन

			•खेल के सामान, खिलौने (बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट बैट, आदि) • अन्य खेल उपकरण • व्हीलचेयर, मसाजर • अन्य चिकित्सा उपकरण
7.		खाना पकाने और घरेलू उपकरण	• इलेक्ट्रिक एयर हीटर/ •ब्लोअर,एयर प्यूरीफायर • फ्रीजर • जनरेटर, स्टेबलाइजर • गीजर और गर्म पानी करने वाले उपकरण • इंडक्शन •मिक्सर/ग्राइंडर, जूसर, फूड प्रोसेसर

(घ) सर्वेक्षण प्रतिनिधि के प्रतिदर्श को बनाने के लिए, सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ सहित ग्रामीण और शहरी भारत को शामिल करते हुए पूरे भारतीय क्षेत्र में (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ दुर्गम गांवों को छोड़कर) आयोजित किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों को प्रथम चरण की इकाई माना गया है जो 2011 की जनगणना (उपयुक्त वृद्धि दर लागू करके अनुमानित) पर आधारित है और शहरी क्षेत्रों में, ब्लॉकों को प्रथम चरण की इकाई माना जाता है जो नवीनतम शहरी फ्रेम सर्वेक्षण (5-वर्ष के अंतराल में अद्यतित) पर आधारित है। प्रतिदर्श का चयन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से किया जाता है और सबसे छोटी प्रतिदर्श इकाई एफएसयू है जो ग्रामीण क्षेत्रों में गांव या गांव का हिस्सा तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी ब्लॉक या शहरी ब्लॉक का हिस्सा है। इन प्रतिदर्शों का चयन सांख्यिकीय पद्धति (एसआरएसडब्ल्यूओआर) का उपयोग करके रैंडम रूप से किया जाता है। घर ही वह अंतिम इकाई है, जहां से जानकारी एकत्र की जाएगी। इस सर्वेक्षण के लिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए घरों को अलग-अलग वर्गीकृत करने के लिए तीन अलग-अलग स्तर बनाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, परिवारों को भूमि पर कब्जे के आधार पर तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जबकि शहरी क्षेत्रों में, परिवारों को वर्गीकृत करने के लिए कार के स्वामित्व को ध्यान में रखा गया है। निम्नलिखित तीन स्तर बनाए गए हैं:

एसएसएस	ग्रामीण	शहरी
एसएसएस 1	एनएसएस के 77वें दौर के एसएएस सर्वेक्षण के अनुसार, जिन परिवारों के पास भूमि स्वामित्व > X है, जहां X ऐसा है कि 5% परिवारों के पास X से अधिक भूमि स्वामित्व है। यह	सूचीकरण की तिथि तक ऐसे परिवार जिनके पास गैर-वाणिज्यिक उपयोग के लिए एक या एक से अधिक चार पहिया वाहन हों, जिनका संयुक्त क्रय

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर निर्धारित किया गया था	मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक हो।
एसएसएस 2	एनएसएस के 77वें दौर के एसएएस सर्वेक्षण के अनुसार, जिन परिवारों के पास भूमि स्वामित्व Y से अधिक है तथा X से कम या बराबर है, जहां Y ऐसा है कि 20% परिवारों के पास Y से अधिक भूमि स्वामित्व है। इसका निर्धारण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर किया गया था।	सूचीकरण की तिथि तक ऐसे परिवार जिनके पास गैर-वाणिज्यिक उपयोग के लिए एक या एक से अधिक चार पहिया वाहन हों, जिनका संयुक्त क्रय मूल्य 10 लाख रुपये से कम या उसके बराबर हो।
एसएसएस 3	शेष परिवार	शेष परिवार

*****